

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल-05/2022/ 632
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16/03/2022

- 1.समस्त, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
- 2.समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.।
- 3.समस्त, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।
- 4.समस्त, मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी म.प्र.।

विषय- कोविड-19 के दौरान किये गये समस्त प्रकार के संलग्नीकरण तत्काल समाप्त करने के संबंध में।

—00—

स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में कोविड-19 के दौरान विगत वर्षों में चिकित्सकों, स्टाफ नर्सों, पैरामेडिक स्टाफ, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि अन्य कर्मचारियों का संलग्नीकरण मूल पदस्थापना से अन्यत्र संस्था में संलग्नीकरण किया गया है, वर्तमान में कोविड की स्थिति सामान्य है एवं संलग्नीकरण की आवश्यकता नहीं है इस स्थिति में किसी भी प्रकार के संलग्नीकरण की आवश्यकता नहीं है, इसके बाद भी जिला स्तर, ब्लाक स्तर पर नियंत्रणकर्ता अधिकारियों द्वारा चिकित्सकों, स्टाफ नर्स एवं अन्य चिकित्सकीय/गैर चिकित्सकीय स्टाफ का संलग्नीकरण किया जा रहा है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवायें अनावश्यक रूप से प्रभावित हो रही है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि संभाग स्तर, जिला स्तर, विकासखण्ड स्तर से आपके द्वारा किये गये समस्त प्रकार के संलग्नीकरण तत्काल समाप्त किये जाने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

समस्त क्षेत्रीय संचालक उनके अधीनस्थ जिलों के सम्बंध में प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करेंगे कि "उनके अधीनस्थ समस्त जिलों/संस्थाओं में समस्त संलग्नीकरण समाप्त किये गये हैं किसी भी प्रकार का संलग्नीकरण शेष नहीं है"। उक्त कार्यवाही कर जानकारी विशेष डाक एवं संचालनालय ई-मेल gazattednoc@gmail.com पर 07 दिवस के भितर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी लापरवाही की स्थिति में जवाबदेही का निर्धारण आपके विरुद्ध किया जावेगा।

(डॉ. सुदाम खांडे)

आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ0क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल-05/2022/ 632

भोपाल, दिनांक 16/03/2022

प्रतिलिप:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अपर मुख्य सचिव म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल, म0प्र0।
02. विशेष सहायक मान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय भोपाल म0प्र0।
03. समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश।
04. अपर संचालक (प्रशासन)/अविज्ञप्त/परिवार कल्याण/विज्ञप्त स्थानीय कार्यालय।
05. प्रभारी एम0आई0एस0, स्थानीय कार्यालय, भोपाल म0प्र0।

आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश